कार्यालय कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC जिला –कोरबा (छत्तीसगढ़)

–: विज्ञापन :–

क्रमांक / 6383 / जि.पं / WCDC / भर्ती / 2013 कोरबा, दिनांक 1-3-13

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित IWMP परियोजनाओं एवं जिला स्तर पर गठित WCDC में अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार एक वर्ष की संविदा (निश्चित वेतनमान) नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, विशेष योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 15.03.2013 को सांय 5.00 बजे तक संपूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र	पद का नाम एवं वेतन	पद का आरक्षण	न्यूनतम एवं वांछनीय अर्हता	चयन हेतु मेरिट लिस्ट	
1	2	3	4	5	6
जिला स्तर (WCDC)					
1	तकनीकी विशेषज्ञ (अभियांत्रिकी) एकमुश्त मासिक मानदेय रू 20880 / –	कुल 1 पद अनारक्षित मुक्त –01	न्यूनतम– कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर / सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ – साथ मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि / कृषि / उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
				शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतन पर कार्य अनुभव	15
				उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
				न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव	5
				5 वर्ष तक अनुभव	10
				5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15
परियोजना स्तर					
1	WDT (Watershed Development Team)(यांत्रिकी) एकमुश्त मासिक मानदेय रू 13700 / –	कुल 5 पद अनारक्षित मुक्त–01 अजजा मुक्त–01 अजजा महिला–01 अजा–01 अन्य पि. वर्ग –01	न्यूनतम– बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) / बीई सिविल / दो वर्षीय स्नाकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रूरल टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट विषय में वांछिनीय– मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि / कृषि / उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
				शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतन पर कार्य अनुभव	15
				उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
				न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव	5
				5 वर्ष तक अनुभव	10
				5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15
2	WDT (Watershed Development Team) सदस्य (आजीविका) एकमुश्त मासिक मानदेय रू 11820 / –	कुल 2 पद अजा महिला–01 अन्य पि. वर्ग –01	न्यूनतम– बी.एस.सी (कृषि / वानिकी / उद्यानिकी / मत्स्य) / BV & AHSc वॉछनीय– मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि / कृषि / उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
				शासकीय अथवा शासकीय अपक्रमो के अधीन समान वेतन पर कार्य अनुभव	15
				उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
				न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव	5
				5 वर्ष तक अनुभव	10
				5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

3	WDT (Watershed Development Team) सदस्य (समूह विकास) एकमुश्त मासिक मानदेय रु 11820/–	कुल 3 पद अनारक्षित महिला–01 अजा मुक्त–01 अन्य पि.वर्ग महिला–01	न्यूनतम– MBA अथवा प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा / ग्रामीण प्रबंधन /विकास में स्नाकोत्तर अथवा समतुल्य स्नाकोत्तर डिप्लोमा/ सामाजिक कार्य (MSW) / समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर वाछनीय– मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि / , कृषि/ उद्यानिकी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
				शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतन पर कार्य अनुभव	15
				उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
				न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव	5
				5 वर्ष तक अनुभव	10
				5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

(पदो की संख्या घटाई अथवा बढाई जा सकती है)

नियम एवं शर्ते :–

1. छ.ग. शासन के नियमानुसार विकलांग, महिला एवं भू.पू सैनिकों के लिए उक्त रिक्त पदों में समस्त आरक्षण दिया जावेगा।
2. संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 मे निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी तथा छत्तीसगढ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
3. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर पुनः एक वर्ष हेतु बढाई जा सकती है।
4. चयनित उम्मीदवारों को परियोजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मुख्यालय में रहना अनिवार्य होगा।
5. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णता अस्थाई एवं बिना कारण बताएं कभी भी समाप्त की जा सकती है।
6. संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त मानदेय की राशि देय होगा एवं यात्रा भत्ता अतिरिक्त दिये जावेगे इसके अलावा अन्य कोई विशेष वेतन अथवा भत्ते की पात्रता नहीं होगी । सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
7. परियोजना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान बीमार या घायल होने की स्थिति में किसी भी तरह के मुआवजे / भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।
8. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करे।
9. संविदा नियुक्ति के लिए आयु सीमा वही होगी जो संबंधित पद या सेवा हेतु विभागीय भर्ती नियम में विहित हो, परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/ निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए भी लागू होंगे।
10. अजा/अजजा/ पि.वर्ग के जाति की पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
11. आवेदन प्रारूप जिले के website – www.korba.gov.in में देखे जा सकते है। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची छ.ग. शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा।
12. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
13. अपूर्ण/ अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
14. **लिफाफे के उपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है एवं जाति वर्ग महिला/ पुरूष/ विकलांग/ भूत पूर्वक सैनिक के पद हेतु आवेदन किया जा रहा है को स्पष्ट उल्लेख करते हुए स्थापना शाखा अंकित किया जावे। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लिफाफे के उपर प्रेषक के नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा जावे।**
15. आवेदक से आवेदन दिनांक 10.03.2013 को सायं 5.00 तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा (छ.ग.) जलग्रहण प्रकोष्ठ मे पंजीकृत/स्पीड डाक से अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए।
16. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा एवं अन्य किसी तरह के विवाद की स्थिति में राज्य स्तरीय नोडल एजेसी का निर्णय मान्य होगा।